गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) इण्टरपोल-इण्डिया और लायन्स स्थित इण्टरपोल मुख्यालय में टेलेक्स, फैक्स और टेलीफोन के माध्यम से सीधा सम्पर्क है ; केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इण्टरपोल शाखा और लायन्स स्थित इण्टरपोल मुख्यालय भी पुलिस रेडियो नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं ।

सेण्ट्रल फारेन्सिक लेबोरेटरी द्वारा निपटाए गए मामले

3978. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेण्ट्रल फारेन्सिक लेबोरेटरी को भेजे गए मामलों को कर्मचारियों की कमी के कारण निर्धारित समय पर नहीं निपटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों, एजेंसियों से वर्षवार कितने मामले प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने मामलों को निपटाया गया है; और

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्राप्त हुए मामलों और निपटाए गए मामलों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1990	4270	3572
1991	4787	3877
1992	4218	3355

(क) केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस, दोनों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं । केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली में कार्य की अधिक मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस के लिए एक पृथक विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति दी गई है ।

Children in Jails without Trial

3979. **SHRI RAJNI RANJAN SAHU :**
SHRIMATI VEENA VERMA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of children in jail without trial for over a year; over six months; and over one month; in the Capital and in the country as a whole;

(b) whether it is a fact that a number of children are held in prisons without trial; for petty offences; and

(c) if so, what steps are taken to minimise such atrocities on children, including their exploitation and abuse during such imprisonment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED) : (a) and (b) Under the Juvenile Justice Act, 1986, children are not to be held in prisons.

(c) Does not arise.

लाटरियों की पुरस्कार राशि की अदायगी के संबंध में समय-सीमा

3980. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटरी निकलने पर पुरस्कार का दावा करने के संबंध में समय-सीमा है जबकि पुरस्कार राशि की अदायगी के संबंध में कोई समय-सीमा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने पुरस्कार राशि की अदायगी की समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) लाटरियां चलाने में गलत तौर-तरीके अपनाए जाने के बारे में शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं । आगे की समुचित कार्रवाई के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है । अलग-अलग मामलों के बारे में सांख्यिकीय सूचना नहीं रखी जाती है । सूचित किए गए गलत तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

दंगों के दौरान अनाथ हुए बच्चे

3981. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने जनवरी, 1993 के दौरान दंगों में अनाथ हुए बच्चों की अभी तक पहचान नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि बच्चों की पहचान कर ली गई है, तो अनाथ हुए ऐसे बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनमें से कितने बच्चों को सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जनवरी, 1993 माह के दौरान

बम्बई में हुए साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित हुए 97 बच्चों को गोद स्वीकृत की गई है । इसके अलावा जनवरी, 1993 माह में गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित हुए 35 बच्चों के प्रस्ताव राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना संस्थान को प्राप्त हो गए हैं तथा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं ।

गाजियाबाद में ठाकुरों द्वारा किये गये अत्याचार

3982. **श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांव डहाना, थाना धौलाना, जिला गाजियाबाद में ठाकुरों ने कुम्हारों (पिछड़ी जाति) को आतंकित कर उनकी चल तथा अचल संपत्ति को जबरन छीन लिया और उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जिसके परिणामस्वरूप कुम्हारों के लगभग 20 परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा है :

(ख) क्या पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की है :

(ग) यदि हां, तो क्या जिला प्रशासन ने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं : और

(घ) इस गंभीर संवैधानिक मसले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी, नहीं, श्रीमान् । तथापि, 7 जुलाई, 93 को गांव डहाना में राजपूतों एवं कुम्हारों के बीच एक संघर्ष हुआ जिसमें श्री० रामपाल सिंह नामक एक राजपूत की मृत्यु हो गई थी । चल एवं अचल सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने अथवा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की किसी शिकायत की सूचना नहीं है ।

कुम्हारों के परिवार गांव से भागे नहीं हैं ।

(ख) पुलिस थाना-धौलाना में भा० दं० सं० की धाराओं 147/148/149/307/302 के अन्तर्गत एक मामला (अपराध क्रमांक 112/93) दर्ज किया गया । जांच के पर तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें 9-7-93 को जेल भेज दिया गया । फरार अभियुक्तों के खिलाफ, उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय के आदेशों के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अधीन कार्यवाही शुरू की गई है । 29-7-93 को न्यायालय में एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया है ।

(ग) और (घ) गांव में शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने पी० ए० सी० की डेढ़ कम्पनियां लगाई थीं । स्थानीय पुलिस द्वारा स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । मामले में केन्द्र के किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी ।

दिल्ली में खुराकाण्ड के संबंध में प्रतिवेदन

3983. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में नवम्बर, 1991 में हुए खुराकाण्ड के कारणों की, जिसमें मिलावटी कर्पूरी आसव के सेवन से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जगदीश चन्द की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था और उक्त आयोग ने 31 अगस्त, 1992 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था जिसमें मुख्यत: डा० शिव राज सिंह निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और डा० आनन्द भूषण शर्मा, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बृजघाट (गाजियाबाद) को दोषी पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायमूर्ति जगदीश चन्द द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ 347 पर उद्धृत उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की गई थी, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है :

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या न्यायमूर्ति द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करते हुए उक्त दोनों अधिकारी अपने-अपने पदों पर पूर्व की भांति सेवारत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आयोग द्वारा जारी आदेशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने आयोग के निष्कर्षों/सिफारिशों को आमतौर पर स्वीकार कर लिया है ।

(ग) से (ङ) आयोग ने, अपनी ड्यूटियों के प्रति लापरवाही बरतने के लिए डा० शिव राज सिंह और डॉ० आनन्द भूषण शर्मा सहित उत्तर प्रदेश के तीन अधिकारियों को दोषी ठहराया था । उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यूनानी अस्पताल, बृजघाट, गाजियाबाद के चिकित्सा अधिकारी डॉ० आनन्द भूषण शर्मा को निलम्बित कर दिया गया है और उन्हें एक आरोप-पत्र तामिल किया गया है और आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं के निदेशक डॉ० शिव राज सिंह से, रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

Cases of Burglaries and Robberies in Delhi

3984. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cases of burglaries and robberies have increased in and around Delhi ;

(b) if so, the number of such cases reported during the last six months ; and

(c) what steps are proposed to be taken to check such incidents ?